न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 844 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
लूणाराम पुत्र सोमथीराम उर्फ सायतीराम जाति रबारी निवासी राजीवपुरा (बिशाला) तहसील व जिला बाड़मेर		1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर 2 पदमाराम 3 भूराराम पिसरान बेसराराम जातियान रबारी निवासी राजीवपुरा (बिशाला) तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1. श्री कुन्दनसिंह चौहान, वकील प्रार्थी पक्ष।
2. श्री दीक्षित कुमार, वकील अप्रार्थीगण पक्ष।

आदेश

दिनांक 30/06/2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिताजी के नाम की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा राजीव पुरा पटवार हल्का बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 716/353 रकबा 11.2907 हेक्टेयर का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी के पिताजी का नाम गलती से ''सायती पुत्री बेसराराम'' दर्ज हो गया है। जो एक लिपिकिय या टंकण की भूल है। प्रार्थी के पिताजी को घर पर बचपन में ''सोमथीराम उर्फ सायतीराम'' दोनो नामो से जानते व पुकारते थे इसलिए सभी जगह रेकर्ड में ''सोमथीराम'' नाम दर्ज होने के बावजुद लिपिकिय भूल से प्रार्थी के पिताजी का नाम उनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 716/353 रकबा 11.2907 हेक्टेयर मौजा राजीव पुरा पटवार हलका विशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर में प्रार्थी के पिताजी का नाम भूलवंश ''सायती पुत्री बेसराराम'' दर्ज हो गया। प्रार्थी के पिताजी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को कई पेचिदिगियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा राजीव पुरा पटवार हल्का बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 716/353 रकबा 11.2907 हेक्टेयर भूमि में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम ''सायती पुत्री बेसराराम'' के स्थान पर ''सोमथीराम उर्फ सायतीराम पुत्र बेसराराम'' दर्ज करवाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के वकील उपस्थित।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी के पिता की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा राजीव पुरा पटवार हल्का बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 716/353 रकबा 11.2907 हेक्टेयर की आई हुई है, जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम गलती से ''सायती पुत्री बेसराराम'' दर्ज हो गया है, जो एक लिपिकिय यां टंकण की भूल है। प्रार्थी के पिताजी को घर पर बचपन में ''सोमथीराम उर्फ सायतीराम'' दोनो नामो से जानते व पुकारते थे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा राजीव पुरा पटवार हल्का बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 716/353 रकबा 11.2907 हेक्टेयर भूमि में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम ''सायती पुत्री बेसराराम'' के स्थान पर ''सोमथीराम उर्फ सायतीराम पुत्र बेसराराम'' शुद्ध किया जाता है तो

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

अप्रार्थी सं0 01 व 02 को कोई आपति नही है। तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/902 दिनांक 03.04.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा राजीव पुरा पटवार हल्का बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 716/353 रकबा 11.2907 हेक्टेयर भूमि पदमाराम पुत्र बेसराराम 1/3 भूराराम पुत्र बेसराराम 1/3 सायती पुत्री बेसराराम 1/3 दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में सायती पुत्री बेसराराम हिस्सा 1/3 अंकित है, जो अशुद्ध नाम है। सायती का वास्तविक नाम सोमथीराम पुत्र बेसराराम है। सहखातेदारों एवं अन्य लोगों द्वारा भी सायती का वास्तविक नाम सोमथीराम होना बताया है। सोमथीराम का दिनांक 19.10.2021 को देहान्त हो चुका है। जिनके पूर्व में बने आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में भी सोमथीराम पुत्र बेसराराम दर्ज है। अतः मौजा राजीव पुरा पटवार हल्का बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 716/353 रकबा 11.2907 हेक्टेयर भूमि में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम ''सायती पुत्री बेसराराम'' के स्थान पर ''सोमथीराम पुत्र बेसराराम'' शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाडमेर की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2076–2079 एवं अन्य दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौजा राजीव पुरा पटवार हल्का बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 716/353 रकबा 11.2907 हेक्टेयर भूमि पदमाराम पुत्र बेसराराम 1/3 भूराराम पुत्र बेसराराम 1/3 सायती पुत्री बेसराराम 1/3 दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में सायती पुत्री बेसराराम हिस्सा 1/3 अंकित है, जो अशुद्ध नाम है। सायती का वास्तविक नाम सोमथीराम पुत्र बेसराराम है। लिहाजा तहसीलदार बाड़मेर रिपोर्ट तथा अप्रार्थीगण द्वारा पेश जवाब एवं दस्तावेजों के आधार पर मौजा राजीव पुरा पटवार हल्का बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 716/353 रकबा 11.2907 हेक्टेयर भूमि में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम ''सायती पुत्री बेसराराम'' के स्थान पर ''सोमथीराम उर्फ सायतीराम पुत्र बेसराराम'' शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा राजीव पुरा पटवार हल्का बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 716/353 रकबा 11.2907 हेक्टेयर भूमि में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम ''सायती पुत्री बेसराराम'' के स्थान पर ''सोमथीराम उर्फ सायतीराम पुत्र बेसराराम'' शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 30/06/2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर